


FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत सुपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)  
हेमा रेगर बनाम मदन लाल गार्  
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 156/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>हेमा</u></p> <p>पिता श्री <u>खुमा रेगर</u></p> <p>निवासी- <u>गाडरी खेड़ा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>गाडरी खेड़ा</u> <u>प.ए. मत्पुड़ा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>67/3</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>1.0000</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गाडरी खेड़ा</u> <u>प.ए. मत्पुड़ा</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>67/3</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>1.0</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षरे <u>पांच सौ मात्र</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>जिला जज</b>  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>चित्तौड़गढ़ (राज.)</b> </p>